



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072026-274635
CG-DL-E-21072026-274635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3720]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948

No. 3720]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

सं. 65/2025-26

विषय: खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री कॉरीडोर में भू-राजनीतिक व्यवधानों के कारण निर्यातकों के लिए समयबद्ध सहायता के – संबंध में।

का.आ. 3883(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के अंतर्गत, भारतीय निर्यातकों हेतु निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक मध्यस्थता (रिलीफ) संबंधी सहायता की समयबद्धता को अधिसूचित करती है।

उक्त मध्यस्थता का विवरण संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है।

अधिसूचना का प्रभाव: खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री कॉरीडोर में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न उच्च निर्यात जोखिमों को दूर करने के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले निर्यात संवर्धन मिशन के तहत एक समयबद्ध रिलीफ मध्यस्थता को शुरू किया जाना है।

[फा. सं: 01/02/62/ एएम-26/ईपीएम]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

अनुलग्नक

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन एवं लॉजिस्टिक मध्यस्थता (रिलीफ)

1. भारत के लिए खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार कॉरीडोर है। पश्चिम एशिया में हाल ही के भू-राजनीतिक घटनाक्रम, विशेष रूप से ईरान से जुड़े तनावों का बढ़ना और होर्मुज स्ट्रेट और व्यापक खाड़ी समुद्री कॉरीडोर के आसपास चल रही सुरक्षा परिस्थिति ने समुद्री लॉजिस्टिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा किया है। शिपिंग लाइनों और बीमाकर्ताओं ने क्षेत्रों में चलने वाले कार्गो पर कई अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं, जिनमें अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (एडब्ल्यूआरपी), युद्ध जोखिम अधिभार (डब्ल्यूआरएस), आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ईसीएस) और अन्य असाधारण माल भाड़ा शुल्क शामिल हैं।
2. इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स लागत में अचानक वृद्धि हुई है, जो पोत के मार्ग परिवर्तन, लंबे समुद्री मार्गों, उच्च बीमा प्रीमियम और क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्रों पर भीड़भाड़ के कारण हुआ है।
3. भारत के व्यापारिक वस्तु निर्यात के लिए खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र के रणनीतिक महत्व, लंबे समय तक चलने वाली लॉजिस्टिक्स व्यवधानों और असाधारण माल भाड़े अधिभार को देखते हुए, निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत एक कैलिब्रेटेड, समयबद्ध, लक्षित और विशिष्ट मध्यस्थता, जिसे रिलीफ - निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स मध्यस्थता कहा जाता है, को भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।
4. अनुमोदित मध्यस्थता - रिलीफ - में तीन पूरक घटक शामिल होंगे जिनका उद्देश्य निर्यातकों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख तनाव बिंदुओं का समाधान करना होगा, अर्थात्:
 - (i) पहले से ही बीमित निर्यातकों के लिए योग्य ईसीजीसी के लिए युद्ध / राजनीतिक जोखिम सहायता में वृद्धि;
 - (ii) आगामी निर्यातों के लिए पात्र निर्यातकों के लिए ईसीजीसी कवरेज को प्रोत्साहित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए समयबद्ध सहायता; और,
 - (iii) सीमा शुल्क देने पर भेजे हुए कार्गो के संबंध में पात्र गैर-ईसीजीसी-बीमाकृत एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन किए गए असाधारण माल भाड़े और बीमा अधिभार बोझ के लिए समयबद्ध प्रतिपूर्ति सहायता।
5. निर्यात ऋण जोखिमों और दावों के प्रशासन को संभालने में ईसीजीसी के अनुभव को देखते हुए, ईसीजीसी सरकारी अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार वितरण और सत्यापन सहित रिलीफ के तहत तीन मध्यस्थताओं के लिए नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

रिलीफ घटक- I : पहले से ही बीमित निर्यातकों के लिए ईसीजीसी हेतु निर्यात ऋण सहायता

6. यह घटक उन निर्यातकों पर लागू होगा जिन्होंने पहले से ही ईसीजीसी क्रेडिट बीमा कवर प्राप्त कर लिया है और जिनके खेप प्रभावित खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में निर्दिष्ट देशों में वितरण या ट्रांस-शिपमेंट के लिए निर्धारित हैं और जिनके संबंध में ऑनबोर्ड बिल ऑफ लेडिंग के साथ-साथ हवाई शिपमेंट के मामले में जहां एयरवे बिल को पात्र अवधि के दौरान जारी किया गया है।

6.1. ईसीजीसी यह सुनिश्चित करेगा कि पहले से ही ईसीजीसी-कवर निर्यातकों के लिए प्रीमियम राशि को पात्र अवधि के लिए पूर्व-विघटन स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया गया है।

6.2. इस घटक के तहत निम्नलिखित सहायता होंगी:

- उन शिपमेंट के लिए लागू है जिसके संबंध में ऑनबोर्ड बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल 14 फरवरी, 2026 - 15 मार्च, 2026 के बीच जारी किया गया है;
 - शिपमेंट के प्रदान किया गया है – पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल), कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) या रीफर कंटेनर (खराब होने वाले कार्गो) – संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इज़राइल, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों में वितरण या ट्रांस-शिपमेंट के लिए निर्धारित है।
 - युद्ध से संबंधित जोखिमों और प्रभावित देशों में संबंधित राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए;
 - ईसीजीसी को अनुमोदित शर्तों और सत्यापन के अधीन, नुकसान के 100% तक का उन्नत कवर प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए।
- निर्यातकों को उनके मौजूदा ईसीजीसी पॉलिसी कवर के तहत देय राशि से अधिक मुआवजे के लिए ईसीजीसी को प्रतिपूर्ति करने हेतु।

6.3. इस घटक के तहत बैंक-टू-टाउन कार्गो मामलों के लिए सहायता लागू नहीं होगी। ऐसे मामले उनके मौजूदा ईसीजीसी पॉलिसी कवर के अनुसार कवर किए जाते रहेंगे। इस घटक के तहत ऐसे मामलों के लिए ईसीजीसी को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

6.4. इस घटक-I के तहत सरकारी सहायता की अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये हैं, जो ईसीजीसी को सामान्य रूप से स्वीकार्य कवरेज से अधिक नुकसान के 100% तक मुआवजे का विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए, रिलीफ प्रस्ताव के तहत सीमित मध्यस्थता विंडो के लिए है।

रिलीफ घटक- II: क्षेत्र में आगामी निर्यातों के लिए निर्यात ऋण सहायता के लिए ईसीजीसी कवरेज को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाना।

7. इस घटक का उद्देश्य निर्यातकों को प्रभावित खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में निर्दिष्ट देशों में वितरण या ट्रांस-शिपमेंट के लिए निर्धारित अपनी खेपों के कवरेज के लिए स्टैंडअलोन नीतियों के तहत ईसीजीसी के क्रेडिट बीमा कवर का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। घटक के तहत बैंक-टू-टाउन कार्गो के मामले पात्र नहीं होंगे।

7.1. ईसीजीसी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातकों द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम पात्र अवधि के लिए पूर्व-विघटन स्तर से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

7.2. इस घटक के तहत निम्नलिखित सहायता होंगी:

- उन शिपमेंट के संबंध में लागू है जिनके लिए ऑनबोर्ड बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल 16 मार्च, 2026 - 15 जून, 2026 के बीच क्षेत्र में ऊर्जा शिपमेंट को छोड़कर प्रदान किया जाता है;

- पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल), कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) या रीफर कंटेनरों (खराब होने वाले कार्गो) के लिए शिपमेंट प्रदान किया गया - संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इज़राइल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों में वितरण या ट्रांस-शिपमेंट के लिए।
- युद्ध से संबंधित जोखिमों और प्रभावित देशों में संबंधित राजनीतिक जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए;
- अनुमोदित शर्तों और सत्यापन के अधीन, नुकसान के 95% तक बढ़ा हुआ कवर प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए।
- ईसीजीसी को उस राशि की प्रतिपूर्ति करना जो वह निर्यातकों को ऐसे मुआवजे के लिए भुगतान करेगी जो ईसीजीसी पॉलिसी कवर के तहत देय राशि से अधिक है।

7.3. इस घटक के तहत सहायता बैक-टू-टाउन कार्गो मामलों के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे मामले उनके मौजूदा ईसीजीसी पॉलिसी कवर के अनुसार कवर किए जाते रहेंगे। इस घटक के तहत ऐसे मामलों के लिए ईसीजीसी को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

7.4. इस घटक-II के अंतर्गत सरकारी सहायता का अनुमान 159 करोड़ रुपये हैं, जो ईसीजीसी को सामान्य रूप से स्वीकार्य कवरेज से अधिक नुकसान के 95% तक की क्षतिपूर्ति प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए, रिलीफ प्रस्ताव के तहत सीमित मध्यस्थता विंडो के लिए है।

रिलीफ घटक III: असाधारण माल भाड़ा और बीमा अधिभार के लिए प्रतिपूर्ति सहायता जो पात्र गैर-ईसीजीसी-बीमाकृत एमएसएमई निर्यातकों द्वारा वहन की जाती है

8. यह मानते हुए कि कुछ एमएसएमई निर्यातकों ने ईसीजीसी की क्रेडिट बीमा पॉलिसी के तहत कवरेज का लाभ नहीं उठाया है, यह घटक भारतीय निर्यातों पर लगाए गए संघर्ष से संबंधित अधिभारों के कारण होने वाले असाधारण लॉजिस्टिक्स लागत के कारण होने वाले नुकसान को आंशिक रूप से पूरा करेगा जो पहले से ही प्रभावित खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्रों में निर्दिष्ट देशों में या तो वितरण या ट्रांस-शिपमेंट के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए ऑनबोर्ड बिल ऑफ लेडिंग पहले ही जारी किया जा चुका है।

8.1 पात्र व्यय अतिरिक्त माल भाड़ा या बीमा लागत तक सीमित होगा जो निर्यातक द्वारा वहन किया जाता है या ऐसे असाधारण अधिभारों के कारण प्राप्त निर्यात आय में कमी, माल भाड़ा या बीमा लागत में वृद्धि के कारण। इसमें शामिल होंगे:

- युद्ध जोखिम अधिभार (डब्ल्यूआरएस) / आपातकालीन संघर्ष अधिभार (ईसीएस) या इसी तरह के लेवी;
- अतिरिक्त युद्ध जोखिम प्रीमियम (एडब्ल्यूआरपी);
- अतिरिक्त संघर्ष से संबंधित शिपिंग शुल्क समुद्री मार्ग व्यवधानों से जुड़े हैं; और,
- कार्गो शिपमेंट पर लागू अतिरिक्त बीमा प्रीमियम।

8.2. इस घटक के तहत सहायता होगी:

- उन शिपमेंट में लागू जिनके संबंध में ऑनबोर्ड बिल ऑफ लेडिंग 14 फरवरी, 2026 - 15 मार्च, 2026 के बीच प्रदान किए गए हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयमों तक सीमित, जैसा कि एमएसएमई वर्गीकरण रूपरेखा के तहत परिभाषित किया गया है;

- शिपमेंट के लिए प्रदान किया गया - पूर्ण कंटेनर लोड (एफसीएल), कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) या रीफर कंटेनर (खराब होने वाला कार्गो) - संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, इजराइल, कतर, ओमान, बहरीन, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों में डिलीवरी या ट्रांसशिपमेंट के लिए निर्धारित किया गया है।
- सीआईएफ अनुबंधों के लिए, निर्यातक द्वारा वास्तविक रूप से वहन किए गए अतिरिक्त माल भाड़े और बीमा भार के 50% तक की प्रतिपूर्ति, निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत करने के अधीन, प्रदान की जाएगी;
- एफओबी अनुबंधों के लिए, अनुबंधित एफओबी मूल्य और प्राप्त निर्यात आय के बीच कमी के 50% तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, ऐसा केवल तभी किया जाएगा जब ऐसी कमी स्पष्ट रूप से और केवल वर्तमान व्यवधान से जुड़े असाधारण माल भाड़े या बीमा अधिभार के कारण हो, जैसा कि ऐसे दस्तावेजों से प्रमाणित होता है जो निर्धारित किए जा सकते हैं, जिसमें संविदात्मक संशोधन, डेबिट नोट, क्रेता संचार, बैंक वसूली रिकॉर्ड, या समकक्ष प्रमाण शामिल हैं।
- बैंक-टू-टाउन कार्गो के मामले में घटक के तहत, पात्र नहीं होंगे।

8.3 प्रति आईसीसी कुल सहायता निम्नलिखित के अधीन होगी:

- पात्र इनवॉइस के संबंध में निर्यातक द्वारा हुई वास्तविक हानि की सीमा,
- निर्धारित दस्तावेजों का जमा करना, और
- इस घटक के तहत सभी पात्र खेपों के संबंध में प्रति निर्यातक 50 लाख रुपये की समग्र सीमा।

8.4 इस घटक III के तहत अनुमानित सरकारी सहायता की आवश्यकता रिलीफ प्रस्ताव के तहत समयबद्ध मध्यस्थता विंडो के लिए 282 करोड़ रुपये हैं।

9. 497 करोड़ रुपये की सीमा तक रिलीफ मध्यस्थता के लिए कुल व्यय निर्यात संवर्धन मिशन के तहत मौजूदा बजटीय से पुरा किया जाएगा, और बजट उपलब्धता, सत्यापन और पैसे परिचालन सुरक्षा उपायों के अधीन वास्तविक आंकड़ों पर किया जाएगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

10. ईपीएम संचालन समिति भू-राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर रिलीफ प्रस्ताव के तहत मध्यस्थताओं की समीक्षा कर सकती है और उचित रूप से घटक के संशोधन, विस्तार या वापसी की सिफारिश कर सकती है, जिसमें घटकों के बीच धन का परस्पर अंतरण और साथ ही रिलीफ मध्यस्थताओं के किसी भी घटक से बाहर करने के लिए नकारात्मक वस्तुओं की सूची का निर्धारण शामिल है।

11. दावों को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस किया जाएगा, यह पात्रता, सत्यापन और अनुमोदित वित्तीय सीमा के भीतर धन की उपलब्धता के अधीन होगा, और इस मध्यस्थता के तहत कुल सरकारी देयता निर्यात संवर्धन मिशन के तहत अनुमोदित बजटीय आवंटन से अधिक नहीं होगी। ईसीजीसी मध्यस्थताओं के तहत संसाधित दावों और उपलब्ध शेष निधियों का एक वास्तविक समय निगरानी डैशबोर्ड बनाए रखेगा।

12. निर्यात संवर्धन मिशन के तहत मध्यस्थता व्यवधान अवधि के दौरान खाड़ी और पश्चिम एशिया बाजारों में भारत के निर्यात की निरंतरता का समर्थन करेगी, निर्यातकों पर असाधारण माल भाड़ा और बीमा लागतों के वित्तीय बोझ को कम करेगा, निर्यात आदेश रद्द होने और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को रोकेगा और निर्यात क्षेत्रों में रोजगार और मूल्य श्रृंखलाओं का संरक्षण करेगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, The 19th March, 2026

No. 65/2025-26

Subject: Time-limited Support for Exporters in view of Geopolitical Disruptions in the Gulf and West Asia Maritime Corridor – reg.

S.O. 3883(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies a time limited **Support for Indian Exporters, Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF)**, under the Export Promotion Mission(EPM).

Details of the said intervention are submitted at **Annexure** enclosed.

Effect of the Notification: A time-limited **RELIEF intervention under the Export Promotion Mission**, to be implemented through the Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC), is operationalised to address elevated export risks arising from geopolitical disruptions in the Gulf and West Asia maritime corridor.

[F. No. . 01/02/62/AM-26/EPM]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Annexure**Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation (RELIEF) under Export Promotion Mission (EPM)**

1. The **Gulf and West Asia region constitutes a strategically significant trade corridor for India**. Recent geopolitical developments in West Asia, particularly the escalation of tensions involving Iran and the evolving security environment around the **Strait of Hormuz and the wider Gulf maritime corridor**, have led to disruptions in maritime logistics arrangements. Shipping lines and insurers have imposed a number of additional charges on cargo moving through the region, including **Additional War Risk Premiums (AWRP), War Risk Surcharges (WRS), Emergency Conflict Surcharges (ECS)** and other extraordinary freight levies.
2. These developments have resulted in a sudden escalation in outbound logistics costs for exporters, driven by vessel diversions, longer maritime routes, higher insurance premia, and congestion at regional transshipment hubs.
3. Given the strategic importance of the Gulf and West Asia region for India's merchandise exports, prolonged logistics disruptions and extraordinary freight surcharges, a calibrated, time-limited, targeted and exceptional intervention under the Export Promotion Mission (EPM), called **RELIEF - Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation**, has been approved to support Indian exporters.
4. The approved intervention – RELIEF - shall consist of **three complementary components** aimed at addressing the principal stress points faced by the exporters, namely: -
 - (i) enhanced war/political risk support for eligible ECGC's already insured exporters;
 - (ii) time-limited support to encourage and facilitate ECGC coverage for eligible exporters for upcoming exports; and,
 - (iii) time-limited reimbursement support for extraordinary freight and insurance surcharge burden borne by eligible non-ECGC-insured MSME exporters in respect of customs-cleared cargo.

5. Given the experience of ECGC in handling export credit risks and claims administration, ECGC shall act as the nodal and implementing agency for the three interventions under RELIEF, including disbursement and verification, in accordance with Government-approved guidelines.

RELIEF Component-I: Export Credit Support for ECGC's already insured exporters

6. This component shall apply to exporters who have already obtained ECGC credit insurance cover and whose consignments are destined, either for delivery or for transshipment, to the specified countries in the affected Gulf and West Asia region and in respect of which onboard bill of lading as well as in case of air shipments where airway bill has been issued during the eligible period.

6.1. ECGC shall ensure that the premium amount for the already ECGC-covered exporters is not increased beyond the pre-disruption level for the eligible period.

6.2. The assistance under this component shall be:

- Applicable for shipments in respect of which onboard bill of lading or airway bill has been issued between **February 14, 2026 – March 15, 2026;**
- Provided for shipments - **Full Container Load (FCL), Less than Container Load (LCL) or Reefer containers (perishable cargo)** - destined for countries such as United Arab Emirates, Saudi Arabia, Israel, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Iraq, Iran and Yemen for delivery or for transshipment.
- To cover losses arising due to **war-related risks and associated political risks in the affected countries;**
- To enable ECGC to provide enhanced cover of up to 100% of loss, subject to approved terms and verification.
- To reimburse ECGC for the amount that it shall pay to the exporters for such compensation in excess of the amount that is payable under their existing ECGC policy cover.

6.3. The assistance under this component shall not be applicable for back-to-town cargo cases. Such cases shall continue to be covered as per their existing ECGC policy cover. No reimbursement shall be made to ECGC for such cases under this component.

6.4. Government support under this Component-I is estimated at **₹56 crores**, for the limited intervention window under the RELIEF proposal, to enable ECGC to extend compensation up to 100% of loss, over and above the coverage ordinarily admissible under the relevant policy.

RELIEF Component-II: Encourage and facilitate ECGC coverage for Export Credit Support for upcoming exports in the region

7. This Component is meant to encourage exporters to opt for ECGC's credit insurance cover under standalone policies for coverage of their consignments, destined, either for delivery or for transshipment, to the specified countries in the affected Gulf and West Asia region. The back-to-town cargo cases will not be eligible under the component.

7.1. ECGC shall ensure that the premium paid by the exporters shall not be increased beyond the pre-disruption level for the eligible period.

7.2. Assistance under this component shall be:

- Applicable for shipments in respect of which onboard bill of lading and airway bill is granted between **March 16, 2026 – June 15, 2026** excluding energy shipments to the region;
- Provided for shipments - **Full Container Load (FCL), Less than Container Load (LCL) or Reefer containers (perishable cargo)** - destined for countries such as United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Israel, Qatar, Oman, Bahrain, Iraq, Iran and Yemen for delivery or for transshipment.

- To cover losses arising due to **war-related risks and associated political risks in the affected countries;**
- To enable ECGC to provide enhanced cover up to 95% of loss, subject to approved terms and verification.
- To reimburse ECGC for the amount that it shall pay to the exporters for such compensation in excess of the amount that is payable under the ECGC policy cover.

7.3. The assistance under this component shall not be applicable for back-to-town cargo cases. Such cases shall continue to be covered as per their existing ECGC policy cover. No reimbursement shall be made to ECGC for such cases under this component.

7.4. Government support under this Component-II is estimated at **₹159 crores**, for the limited intervention window under the RELIEF proposal, to enable ECGC to extend compensation up to 95% of loss, over and above the coverage ordinarily admissible under the relevant policy.

RELIEF Component-III: Reimbursement support for extraordinary freight and insurance surcharge borne by eligible non-ECGC-insured MSME exporters

8. Recognising that some **MSME exporters** may not have availed for coverage under ECGC's Credit Insurance Policy, this component shall partially offset losses due to extraordinary logistics costs arising from conflict-related surcharges imposed on Indian exports which are already sailing to the specified countries in the affected Gulf and West Asia regions, either for delivery or for transshipment, for which Onboard Bill of Lading has already been issued for movement to such affected regions.

8.1. Eligible expenditure shall be limited to additional freight or insurance costs borne by the exporter or reduction in realised export proceeds attributable to such extraordinary surcharges, on account of increased freight or insurance costs. This would include:

- War Risk Surcharge (WRS)/Emergency Conflict Surcharge (ECS) or similar levies;
- Additional War Risk Premium (AWRP);
- Additional conflict-related shipping charges linked to maritime route disruptions; and,
- Additional insurance premiums applicable to cargo shipments.

8.2. Assistance under this component shall be:

- Applicable for shipments in respect of which Onboard Bill of Lading has been granted between **February 14, 2026 – March 15, 2026;**
- Restricted to **Micro, Small and Medium enterprises**, as defined under the MSME classification framework;
- Provided for shipments - **Full Container Load (FCL), Less than Container Load (LCL) or Reefer containers (perishable cargo)** - destined for countries such as United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Israel, Qatar, Oman, Bahrain, Iraq, Iran and Yemen for delivery or for transshipment.
- For **CIF contracts**, reimbursement of upto **50% of the additional freight and insurance burden actually borne by the exporter**, subject to production of prescribed documentary evidence, shall be provided;
- For **FOB contracts**, reimbursement of upto **50% of the reduction between the contracted FOB value and the realised export proceeds** shall be provided. **The same shall, however, be done** only where such reduction is demonstrably and solely attributable to extraordinary freight or insurance surcharge linked to the present disruption, as evidenced by such documents as may be prescribed, including contractual amendment, debit note, buyer communication, bank realisation record, or equivalent proof.

- The back-to-town cargo cases will not be eligible under the component.

8.3. The total assistance per IEC shall be subject to:

- the extent of actual loss incurred by the exporter in respect of the eligible invoice,
- submission of prescribed documents, and,
- an overall ceiling of **₹50 lakh per exporter** in respect of all eligible consignments under this component.

- 8.4. The estimated Government support requirement under this Component-III is **₹282 Crores** for the time-limited intervention window under the RELIEF proposal.
9. The total expenditure for the RELIEF intervention to an extent of **Rs.497 Crore** shall be met from the existing budgetary allocation under the Export Promotion Mission, and, shall be made on actuals subject to budget availability, verification, and such operational safeguards as may be prescribed.
10. The **EPM Steering Committee** may review the interventions under RELIEF proposal based on evolving geopolitical conditions and recommend modification, extension or withdrawal of the component as appropriate, including *inter se* transfer of funds among the components as well as prescription of negative list of goods for exclusion from any of the components of the RELIEF intervention.
11. The claims shall be processed in order of receipt, subject to eligibility, verification, and availability of funds within the approved financial ceiling, and the total Government liability under this intervention shall not exceed the budgetary allocation approved under the Export Promotion Mission. ECGC shall maintain a real-time monitoring dashboard of claims processed and balance funds available under the intervention.
12. The intervention under Export Promotion Mission will support continuity of India's exports to Gulf and West Asia markets during the disruption period, reduce the financial burden of extraordinary freight and insurance costs on exporters, prevent export order cancellations and supply chain disruptions and protect employment and value chains in export sectors.